

१/१/२०

वकुलाम अनुपस्थित। कावाजे लावाई गई।  
परन्तु ओई पक्षकार कथवा पक्षकारानु उ  
कथितकला हाजिर नहीं कामे। कतः वावश्द  
सूचना के गैर हाजिर रह्य तथा कावाजे कामे  
पर उपस्थित नहीं जाने के हासगत क्ये  
काम हाजरी च क्रम पैरवी में लाहिज  
किया जाता है। मानल कदने नखर स श्रम  
होकर वावश्द यथा है।

*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.)  
जयपुर, जिला नागौर